न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 251/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोण्डेन्ट
1– देवीसिह पुत्र खेतसिह 2– उम्मेदसिह पुत्र खेतसिह 3– श्रीमती सुगनकंवर पत्नी खेतसिह 4– चन्दनसिह पुत्र सरदारसिह 5– सरवणसिह पुत्र सरदारसिह 6– लक्ष्मणसिह पुत्र सरदारसिह 7– श्रीमती सुवाकंवर पत्नी सरदारसिह 8– नारायणसिह पुत्र आईदानसिह 9– जालमसिह पुत्र आईदानसिह 10–रूपसिह पुत्र आईदानसिह 11–हुकमसिह पुत्र आईदानसिह सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम भेड (रावल नगर) निम्बला बेरा तहसील ओसियां, जिला जोधपुर		1– शेरसिह पुत्र अमरसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम भेड (रावल नगर) निम्बला बेरा तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 2– सरपंच ग्राम पंचायत भेड, तहसील ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसियां जो राजस्व अपील संख्या 1/2009 अनवान देवीसिह वगैरा बनाम शेरसिह वगैरा मे दिनांक 11–7–2016 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सत्यनारायण राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– रेस्पो0 संख्या 2 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 11–10–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष ग्राम भेड के नामांतरकरण संख्या 431 दिनांक 21–12–1982 के विरूद्ध इस आशय की प्रथम अपील पेश की कि ग्राम भेड तहसील ओसियां के खसरा नंबर 81, 111, 480, 511, 87, 483, 586, 802, 80 कुल 181 बीघा 05 बिस्वा भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण के संयुक्त खातेदारी की थी जिसमे अपीलांटगण का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पो0गण का 1/2 हिस्सा था । उक्त इन्द्राज खतोनी बंदोबस्त संवत 2012 से 2031 एवं उसके बाद की जमाबंदियां संवत 2038–2041 तक सही दर्ज चला आ रहा था परंतु म्युटेशन संख्या 431 जो कि सहखातेदार मूलकंवर के फोत होने पर उसके उतराधिकार का भरा गया था उसमे अपीलांटगण का 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि अपीलांटगण का 1/2 हिस्सा था इसलिए उक्त नामांतरकरण संख्या 431 दिनांक 21–12–1982 को निरस्त कर रेवेन्यु रेकर्ड जमाबंदी मे अपीलांटगण का हिस्सा 1/2 दर्ज करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील को लोक अदालत केम्प कोर्ट पल्ली फांटा मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–7–16 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को 26 वर्ष बाद पेश करने से मयाद

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

के बिन्दु पर खारीज कर दी जाने से आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को केम्प के नोटिस जारी किये बिना तथा उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पत्रावली को केम्प मे ले जाकर बिना पक्षकारो को सुने अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दिया जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 431 की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अपीलांट का हिस्सा जो राजस्व रेकर्ड मे 1/2 चला आ रहा था, जो उक्त म्युटेशन के जरिये बिना किसी आदेश के रकबा 1/2 के बजाय 1/3 दर्ज कर दिया जो आदेश विधिविरूद्ध होने से उक्त म्युटेशन के जरिये अपीलांट का हिस्सा कम किया गया होने से अधीनस्थ न्यायालय मे म्युटेशन को अपील प्रस्तुत की परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारो को सुने ही उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को मयाद जैसे तकनिकी आधार पर खारीज कर दिया । वकील अपीलांट ने कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने भी अपने विभिन्न निर्णयो मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां तक हो मयाद के तकनिकी बिन्दु के आधार पर किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित नही करना चाहिये तथा प्रकरण जब मेरिट पर प्रबल हो तो प्रकरण की मेरिट को देखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ की ओर ध्यान दिलाते हुए यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे तारीख पेशी 12-7-2016 निर्धारित थी परंतु तारीख पेशी से पूर्व दिनांक 11-7-2016 को रखते हुए बिना अपीलांट को सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट की अपील को खारीज कर दी, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही की ओर ध्यान दिलाते हुए यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली तहसीलदार ओसियां की रिपोर्ट इन्तजार मे चल रही थी परंतु बिना तहसीलदार से प्राप्त किये ही केवल अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दी गई इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11-7-2016 को

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

निरस्त कर राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट का हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि म्युटेशन संख्या 431 दिनांक 21-12-1982 जो फोतेदगी का स्वीकृत हुआ था जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2009 मे लगभग 27 वर्ष विलंब से अपील पेश की थी तथा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे ठोस कारण का उल्लेख नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद बाहर मानते हुए खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत है ।

वकील रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांट का हिस्सा यदि रेकर्ड मे कम दर्ज कर दिया गया है तो इसके लिए अपीलांट को हिस्सा कस्सी एवं बंटवाडा का दावा सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत कर अपना हिस्सा तय करवाना चाहिये, म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये इस तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं, अपीलाधीन आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा खतौनी बंदोबस्त मौजा भेड, जमाबंदी संवत् 2012 से 2031 , संवत् 2015 से 2018, तथा संवत् 2030 से 2033, जमाबदी संवत 2034-37, संवत् 2038-41 तक अपीलांटगण का 1/2 हिस्सा अंकित किया हुआ है तथा उसके पश्चात की जमाबंदी संवत 2043-46 के अपीलांटगण के पूर्वज खेतसिंह व अन्य का हिस्सा 1/3 अंकित कर दिया गया है तथा उसके पश्चात के राजस्व रेकर्ड मे हिस्सा 1/2 के स्थान पर 1/3 दर्ज हुआ है तथा उक्त गलत इन्द्राज का आधार म्युटेशन संख्या 431 है जिसके द्वारा अपीलांटगण के पूर्वजो के खातेदारी का हिस्सा 1/2 जो पूर्व मे चला आ रहा था उसके स्थान पर 1/3 कर दिया जाना पाया जाता है तथा हिस्सा कम करने बाबत म्युटेशन मे कोई उल्लेख नही किया गया है ऐसे मे उक्त म्युटेशन संख्या 431 विधिसम्मत नही माना जा सकता है जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि पत्रावली तहसीलदार की रिपोर्ट इंतजार मे चल रही थी तथा तारीख पेशी भी दिनांक 12-7-16 दी हुई थी परंतु तारीख पेशी से एक दिन पूर्व ही पत्रावली को बिना पक्षकारो को सूचित किये केम्प कोर्ट पल्ली मे ले जाकर बिना पक्षकारो को सुने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना ही अपीलांट की अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दी जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अ ीलाधीन निर्णय दिनांक 11–7–16 तथा म्युटेशन संख्या 431 ग्राम भेड को निरस्त कर तहसीलदार ओसियां को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलांटगण के खातेदारी भूमि का रकबा राजस्व रेकर्ड मे 1/3 हिस्सा के बजाय पूर्व अनुसार 1/2 हिस्सा दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 11–10–2019 को खुले न्यायालय र् नाया गया ।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त * जोधपुर *

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर